न्यायालयः— सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या :— 05/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 16.02.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/160

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. बाबूलाल पुत्र प्रभुराम जाति सीरवी निवासी बेरा भादवा आगेवां तहसील जैतारण		1. सरपंच ग्राम पंचायत बांसिया तहसील रायपुर 2. तहसीलदार रायपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 01.02.2021

उपस्थितः— 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता अपीलान्ट

निर्णय **दिनांक** :—13.07.2022

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता श्री जसवंत सिंह सांखला ने अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल. आर. एक्ट विरूद्व नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 01.02.201 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट न्यायालय में पेश किया गया है। अपील का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा बांसिया पटवार हल्का बांसिया, भू. अभि. नि. क्षैत्र पिपलिया कलां तहसील रायपुर जिला पाली राज. के खसरा सं. 595/267 रक्बा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भुमि आई हुई हे। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा तथा जमाबंदी संवत 2074—2077 एवं नामान्तरण संख्या 1832 की प्रमाणित प्रति अपील के साथ पेश है जिसे अपील का आवष्यक भाग माना जावें। वर्णीत आराजीयात मे खातेदार सतारखॉ पुत्र श्री अजीम खॉ, जाति धोबी सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकर्ड है। सतारखॉ पुत्र श्री अजीम खॉ ने अपना दर्ज सम्पुर्ण हिस्से को दिंनाक 18/01/2021 को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचाननामा अपीलार्थी के पक्ष मे कर दिया जो उपंपजीयन कार्यालय रायपुर के पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 314 मे पृष्ट सं. 162 क्रम सं. 202103073100149 पर पंजीबद्व किया हुआ हैं तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 1059 के पृष्ट सं. 9 से 16 पर चस्पा किया हुआ है बेचाननामा की प्रति अपील के साथ पेश है। उक्त बेचाननामा अनुसार खातेदार सतारखॉ के द्वारा अपने सम्पुर्ण हिस्से का बेचान अपीलार्थी को करने से अपीलार्थी द्वारा उक्त बेचाननामा अनुसार नामान्तरण भरवाने हेतु रजिस्ट्री की फोटो प्रति पटवारी हल्का महोदय को दी जिस पर हल्का पटवारी महोदय ने नामान्तरण सं. 1832 बेचाननामा अनुसार भरा गया एवं भु. अभि. निरि. ने पंजिबद्व बेचान एवं जमाबन्दी के मिलान किया सही पाया की रिर्पोट की गयी जिस पर हल्का पटवारी ने बेचाननामा का नामान्तरण स्वीकृत हेतु सक्षम न्यायलय ग्राम पंचायत बासिया मे पेश किया जिस पर संरपच द्वारा उक्त नामान्तरण सं. 1832 को प्रस्ताव सं. 08 दिंनाक 09/03/2021 दस्तावेज व रिकार्डमे भिन्नता के कारण खारिज किया जाता है नोट लगाकर खारीज कर दिया। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित उक्त आदेश गलत किया गया है। जो काबिल खारीज योग्य है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी मे नामान्तरण सं. 1832 भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा पंजीयन दस्तावेज की जॉच सही की जाकर नामान्तरण भरा गया जिस पर भु. अभि. निरि. ने दस्तावेज एवं जमाबन्दी की जॉच किये रजिस्ट्री दस्तावेजों से जॉच किया अंकन सही पाया का नोट लगा दिया जो सही है परन्तु अधिनस्थ न्यायलय ने भी बिना जॉच किये उसे अस्वीकृत कर दिया जबकि अधिनस्थ न्यायलय को नामान्तरण खारीज करने का कोई

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

हक अधिकार नही था। अधिनस्थ न्यायलय द्वारा पारित नामान्तरण मे पारित आदेश काबील खारीज है। अपीलार्थी केवल मात्र साक्षर है उसने कभी भी राजस्व रेकर्ड का अवलकोकन नही किया। अपीलार्थी द्वारा खरीद दिनांक से उक्त भुमि पर अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के काश्त कर रहे है प्रत्यार्थीगण का बेचान के बाद कभी उक्त भुमि पर कोई कब्जा काश्त नही रहा है एंव ना वर्तमान मे है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलार्थी अपने अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। अपीलार्थी हमेशा इसी सद्विष्वास मे रहा के वादग्रस्त आराजीयात में उसका भी नाम अंकित हो गया व चला आ रहा है। इसी कारण उन्होनें कभी राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने का प्रयास नही किया। अब अपीलार्थी को पेंसो की जरूरत होने पर बैंक गये तब अपीलार्थी को जानकारी हुई कि जमाबन्दी की खातेदारी मे उनका नाम दर्ज नहीं हैं उक्त जानकारी होने पर उन्होने राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब उन्हे यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं है अपीलार्थी का नाम दर्ज होने से रह जाने से उनको भारी समस्या का सामना करना पड रहा है जिस कारण उक्त नामान्तरण 1995 मे पारित अस्वीकृत आदेश को खारीज किया जाकर नये सिरे से जॉच की जाकर नामान्तरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक होने के कारण उक्त अपील पेश कि जा रही है।अधिनस्थ न्यायलय सरपंच ग्राम पंचायत बासिंया, पंचायत समिति रायपुर, जिला पाली ने अपीलाधीन आदेश पारित करने मे घोर विधिक एवं तथ्यात्मक भुल की है। यह नामान्तरण पटवारी हल्का बांसिया भु अभिलेख निरीक्षक पिपलिया कलां से जाच मे सही पाया परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत बासिया ने भरा नामान्तरण सं. 1832 को बिना जॉच किये खारीज का आदेश कर दिया जो आदेश काबिले अपास्त के है।अपीलार्थी का हित प्रभावित होने से उक्त अपील प्रस्तुत कर रहे है।अपीलाधीन नामान्तरण मे पारित आदेश विधि विरूद्व होने से शुन्य है इसलिये उसे चुनोति देने मे कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसी स्थिति में अपील को समय अवधि में माना जावे ।अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा ग्राम बांसिया पटवार हल्का बांसिया मे होने से श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे है।

अतः अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि अपीलार्थी की अपील को स्वीकार फरमाकर अपीलाधीन नामान्तरण ग्राम बांसिया पटवार हल्का बांसिया के नामान्तरण सं. 1832 मे पारित संरपच ग्राम पंचायत बांसिया के द्वारा पारित आदेश खारीज को निरस्त करने का आदेष पारित करे तथा पटवारी हल्का बांसिया तहसील रायपुर, जिला पाली को निर्देश फरमावे कि प्रत्यार्थीगण द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज बेचाननामा अपीलार्थी के पक्ष मे कर दिया जो उपंपजीयन कार्यालय रायपुर के पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 314 मे पृष्ट सं. 162 क्रम सं. 202103073100149 पर पंजीबद्व किया हुआ हैं तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 1059 के पृष्ट सं. 9 से 16 पर चस्पा किया गया है उसकी जाचॅ कर नियमानुसार नामान्तरण पुनः भरने के आदेश करावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड की गयी। रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 की नोटिस तलबी के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया हैं। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने में अपनी सहमति प्रदान की। वकील अपीलान्ट से अपील पर बहस सुनी एंव दिये गये तर्को का मनन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 01.02.2021 को निरस्त (रद्व) किया जाना न्यायोचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील, अपीलान्ट विरूद्ध रेसपोडेन्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत बांसिया द्वारा निस्तारित नामान्तकरण संख्या 1832 दिनांक 01.02.2021 को अपास्त किया जाकर ,तहसीलदार रायपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि नामान्तरकरण के संबंध में बेचान दस्तावेज की विस्तृत जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तहसीलदार रायपुर को आदेश, तहरीर के साथ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 13.07.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)